महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक एफ ( ) चु.आ./मदसविवि/2022/6108 दिनांक :– .08.2022

कार्यालय–आदेश

प्रबन्ध बोर्ड की 101वीं बैठक दिनांक 16.08.2022 के निर्णय संख्या 01 पर लिये गये निर्णय की अनुपालना में छात्रसंघ चुनाव 2022 में अधिक से अधिक विद्यार्थियों की चुनाव में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु उक्त मद पर गहन विचार–विमर्श किया गया । छात्र संघ चुनाव–2022 के आयोजन हेतु छात्रसंघ चुनाव के संविधान के क्लॉज 7 (a) में विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए केवल सत्र 2022–23 के लिए आंशिक परिवर्तन किया गया । विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठयक्रमों के प्रथम सेमेस्टर/पूर्वाद्ध में विद्यार्थियों को निम्न शर्तो के अधीन अस्थाई (Provisional) प्रवेश दिये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. विश्वविद्यालय के समस्त स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जाकर सत्र 2021–22 के तृतीय वर्ष के पाठयक्रमों के विद्यार्थी जो आगामी चुनाव में मतदान करना चाहते है अथवा प्रत्याशी के रूप में भाग लेना चाहते है, ऐसे विद्यार्थियों को 17 अगस्त 2022 को दोपहर 2.00 बजे तक आवश्यक रूप से अपनी न्यूनतम निर्धारित योग्यता के आधार पर विश्वविद्यालय में संचालित स्नातकोत्तर पाठयक्रम/पाठयक्रमों के लिए आनलाईन आवेदन करना होगा साथ ही आवेदन की हार्डकॉपी मय आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में राशि रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ–पत्र (संलग्न प्रारूप) मय राशि रूपये रूपये 5000/–(अक्षरे पांच हजार रूपय मात्र) विश्वविद्यालय के कैश काउण्टर पर जमा कराकर संबंधित विभाग में जमा करायेंगे । ऐसे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई (Provisional) प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी छात्रसंघ चुनाव–2022 में मतदान एवं प्रत्याशी के रूप में भाग ले सकेंगे। उक्त जमा राशि स्नातकोत्तर (पूर्वाद्ध/प्रथम सेमेस्टर) के प्रवेश शुल्क में समायोजित कर ली जावेगी एवं किसी कारण से उक्त पाठयक्रम में प्रवेश ना होने पर या प्रवेश छोडने पर यह राशि जब्त कर ली जाएगी।
2. स्नातकोत्तर पाठयक्रम में अस्थाई (Provisional) प्रवेश के आधार पर छात्रसंघ पदाधिकारी पद पर निर्वाचित होने वाले विद्यार्थी को स्नातकोत्तर विभाग की निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया 2022–23 से प्रविष्ट होने के पश्चात् स्नातकोत्तर पाठयक्रम सत्र 2022–23 का नियमित विद्यार्थी होना आवश्यक है।
3. स्नातकोत्तर पाठयक्रम में अस्थाई (Provisional) आधार पर 2022–23 छात्रसंघ पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित विद्यार्थी तृतीय वर्ष/अन्य अन्तिम सेमेस्टर में परीक्षा में पूरक, अनुत्तीर्ण होने अथवा अन्य किसी भी कारण यथा– मैरिट में नहीं आने इत्यादि से विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर

पाठयक्रम सत्र 2022–23 में प्रवेश से वंचित होने पर उसका निर्वाचन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

4. विश्वविद्यालय के समस्त विभागों के अन्तर्गत संचालित होने वाले स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया छात्रसंघ चुनाव–2022 के सम्पन्न होने व आवश्यक परिणामों के जारी होने के पश्चात् पुनः निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर सम्पन्न की जावेगी ।

5. छात्रसंघ चुनाव–2022 के मद्देनजर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण समस्त पुनर्मूल्यांकन, गोपनीय परीक्षा परिणाम, परिणाम संशोधन इत्यादि कार्य चुनाव सम्पन्न होने तक स्थगित किये जाय ।

6. सत्र 2021–22 की सैमेस्टर पद्धति के अंतिम सैमेस्टर के स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थी जो वर्तमान में नियमित रूप से विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत है (जिनकी परीक्षाएं बकाया होकर सैमेस्टर में नियमित अध्ययनरत है) ऐसे छात्र, छात्रसंघ चुनाव–2022 में मतदाता एवं प्रत्याशी के लिए योग्य होंगे । जिन विद्यार्थियों की **terminal-end** (सत्रांत) की परीक्षाएं पूरी तरह से सम्पन्न हो चुकी है वह विद्यार्थी मतदान के लिए अर्ह (**eligible**) नहीं होंगे ।

7. विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में न्यूनतम विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं होने एवं कोर्स संचालन के नहीं होने की स्थिति में विद्यार्थियों का अस्थाई (Provisional) प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाकर उसका निर्वाचन भी निरस्त माना जायेगा ।

8. विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवंटित सीटों में वरीयता सूची (आरक्षण नीति के अनुसार) में नहीं आने पर संबंधित विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जा सकता । ऐसे विद्यार्थियों का अस्थाई (Provisional) प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर उसका निर्वाचन भी निरस्त माना जायेगा ।

9. ऐसे समस्त विद्यार्थी जिनकी परीक्षाएं प्रक्रियाधीन है उन्हें भी मतदान के लिए पात्र माना जाये ।

नोटः–यह प्रवेश व्यवस्था केवल सत्र 2022–23 के लिए आयोजित छात्रसंघ चुनाव–2022 के लिए ही लागू रहेगी । भविष्य के लिए इसे उदाहरण नहीं माना जाये ।

Wathur

चुनाव अधिकारी